अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2023-स्था.I दिनांक : 10.11.2023

कार्यालय आदेश

विषयः एम्स परिसर में वाणिज्यिक यात्री वाहनों के प्रवेश को विनियमित करने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा एम्स परिसर के दैनिक दौरों के दौरान रोगियों और उनके परिचरों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाती रही हैं। उक्त बातचीत से, यह सामने आया है कि कुछ रोगियों को नजदीकी मेट्रो स्टेशनों या यहां तक कि एम्स मुख्य द्वार से एम्स ओपीडी तक छोड़ने के लिए ऑटोरिक्शा/टैक्सी चालकों द्वारा अत्यधिक किराया वसूला जाता है। यह भी देखा गया कि हालांकि एम्स में सभी प्रवेश द्वारों से नियमित इलेक्ट्रिक शटल सेवा संचालित हो रही है, लेकिन जिन नए रोगियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वे अक्सर ऐसे ऑटोरिक्शा/टैक्सी चालक द्वारा लूटे जाते हैं। और अधिक जांच करने पर यह बात सामने आई है कि ऐसे कुछ ऑटोरिक्शा/टैक्सी चालकों द्वारा, जो केवल एम्स परिसर के आसपास और एम्स परिसर के भीतर छोटे ट्रिप करते हुए ऑटो चलाते हैं, उनके द्वारा इस कार्यप्रणाली को बार-बार दोहराया जा रहा है।

एम्स परिसर के अंदर रोगियों से इस तरह की अनपेक्षित लूटपाट को रोकने के लिए और वाणिज्यिक यात्री वाहनों (अर्थात् ऑटोरिक्शा, टैक्सी आदि) के प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- एम्स, नई दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों के अंदर और बाहर, रोगियों को इलेक्ट्रिक शटल के रूट और फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी उपलब्धता की जानकारी देने वाले प्रमुख द्विभाषी साइनेज लगाए जाएंगे।

- एम्स परिसर में सभी वाणिज्यिक यात्री वाहनों (सीपीवी) के प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक नंबर प्लेट रीडर कैमरा-आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी :

- यदि वाणिज्यिक यात्री वाहन (सीपीवी) एम्स में अपने प्रवेश के 15 मिनट के भीतर यात्रियों को आराम से बिठाने या उतारने के बाद एम्स परिसर से बाहर निकल जाते हैं तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- सभी सीपीवी के लिए, उनके प्रवेश के 15 मिनट बाद, एम्स परिसर से बाहर निकलने पर रु. 50/आधा घंटा (सभी प्रकार के कर सहित) एम्स परिसर से बाहर निकलने पर वसूला जाएगा।

- सीपीवी को हर घंटे एम्स परिसर से केवल एक प्रवेश और एक निकास की अनुमति दी जाएगी। अपने अंतिम निकास से 1 घंटे पहले एम्स परिसर में प्रवेश करने वाले सीपीवी को अपने यात्रियों को एम्स गेट के बाहर छोड़ना होगा और उन्हें एम्स परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सीपीवी के प्रवेश को विनियमित करने के लिए टिकटिंग प्रणाली मानव-संचालित नहीं होगी। यह प्रणाली स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा तकनीक पर आधारित होनी चाहिए। सीपीवी के प्रवेश और निकास का समय स्वचालित रूप से दर्ज किया जाए और यदि किराया देय हो तो स्वचालित रूप से गणना करके प्रदर्शित किया जाए। सीपीवी ड्राइवर को शुल्क के भुगतान के समय एक रसीद जारी की जाए। एम्स परिसर के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर उक्त प्रणाली का विवरण देने वाले प्रमुख द्विभाषी साइनेज अवश्य लगाएं। यह प्रणाली 31 दिसंबर, 2023 तक प्रारंभ हो जाएगी।

  कार्रवाई : प्रभारी-आचार्य, यातायात प्रबंधन समिति, अधीक्षण अभियंता एम्स

ह/-

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरणः (इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारीगण को भी परिचालित किया जाए।)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर-निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई., झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. उपसचिव
8. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

(नोटः- किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2023-Estt.I 10.11.2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Regulating the entry of commercial passenger vehicles into AIIMS Campus reg.

The undersigned has been regularly interacting with patients and their attendants during the daily rounds of the AIIMS Campus. From the said interactions, it has emerged, that few patients have been charged exorbitantly by Autorickshaws / Taxi Drivers for drop to AIIMS OPD from the nearby metro stations or even from the AIIMS Main Gate. It was also noted that though AIIMS has regular electric shuttle service operating from all entry gates, new patients who are not aware of the same are the ones who are often fleeced by such autorickshaw / taxi drivers. On further enquiry, it has emerged that this modus operandi is being followed repeatedly by some autorickshaw / taxi drivers who are operating around AIIMS campus only and doing such short trips within AIIMS campus.

To stop such fleecing of unsuspecting patients, and to streamline the entry of commercial passenger vehicles (viz. Autorickshaws, Taxis, etc.) inside AIIMS Campus, the following steps shall be undertaken:

- Prominent bilingual signages informing the patients of the availability of electric shuttles along with their route and frequency shall be put up inside and outside all entry gates of AIIMS New Delhi
- A number plate reader camera-based ticketing system shall be introduced to regulate the entry of all Commercial Passenger Vehicles (CPV) into the AIIMS Campus such that:
    - The CPV's shall not be charged any fee if they exit the AIIMS campus within 15 minutes of their entry to enable them comfortably pickup or drop the passengers.
    - For all CPV's exiting the AIIMS campus after 15 minutes of their entry, a fee of Rs. 50/half hour (inclusive of any taxes) shall be charged at the time of exit from the AIIMS campus.
    - CPV's shall be allowed only one entry & one exit from the AIIMS Campus every hour. CPV's entering the AIIMS campus before 1 hour of their last exit shall be required to drop their passengers outside the AIIMS Gates and shall not be allowed entry into the AIIMS Campus.
    - The ticketing system to regulate the entry of CPV's shall be free from human intervention. The system should be based on automated number plate reading camera technology. The time of entry and exit of CPV's should be automatically recorded and fare if due automatically calculated and displayed. A receipt must be issued to the CPV driver at the time of making any fee payment. Prominent bilingual signages detailing the said system must be put at all entry and exit gates of AIIMS Campus. This system shall be commissioned by 31st Dec 2023.

Action: Prof. I/c Traffic Management Committee, SE AIIMS

10/11/2023

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Deputy Secretary
8. Prof. I/c Computer Facility